



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-20062026-273681
CG-KA-E-20062026-273681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3105]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3105]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

दुबल्लि, 18 जून, 2026

का.आ. 3228(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 20A की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात् कर्नाटक राज्य में, “संपिगे रोड – अरसीकेरे सेक्शन: करडि - तिपटूर स्टेशनों के बीच समपार संख्या 82, कि.मी. 138/200-300 के स्थान पर विभिन्न ऊँचाइयों का अधोगामी पुल के प्रस्तावित निर्माण” (बंडीहल्ली गेट) कार्य के लिए, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कर सकता है:

ऐसी प्रत्येक आपत्ति को, “संपिगे रोड – अरसीकेरे सेक्शन: करडि - तिपटूर स्टेशनों के बीच समपार संख्या 82, कि.मी. 138/200-300 के स्थान पर विभिन्न ऊँचाइयों का अधोगामी पुल के प्रस्तावित निर्माण” (बंडीहल्ली गेट) कार्य के

संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तुमकुर-रायदुर्ग रेलवे परियोजना, तुमकुर को, लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी कानूनी सहायक के माध्यम से, सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियाँ सुनने के बाद और ऐसी आगे की जाँच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की भूमि के भू मानचित्र और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और कोई भी इच्छुक व्यक्ति, उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में इसका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

जिला : तुमकुर, तालुका : तिपतूर, होबली : कसाबा, ग्राम : तिपतूर

क्र.सं.	सर्वे सं. Sy. No	भूस्वामी का नाम	अधिग्रहित क्षेत्र (एकड़-गुंटा में)				भूमि का वर्गीकरण
			कुल	A खराब	B खराब	शेष	
1	109	एस.एस. रुद्रैया पुत्र शंकरप्पा, विवेकानंद पुत्र एस.एस. रुद्रैया (संयुक्त)	0-00 1/2	-	-	0-00 1/2	एन ए के
2	110/1	मंगला टी.एम. पत्नी मृत्युंजय सी.बी, टी.एम.अनुपमा पुत्री टी.एम.मंजुनाथ (संयुक्त)	0-05 1/2	-	-	0-05 1/2	सूखी
3	111/1A	मंजुला पत्नी जयण्ण	0-01	-	-	0-01	सूखी
4	111/1C1	एन.कुमार पुत्र नंजप्पा, टी.जी. नागराजू पुत्र गुरप्पा, बी.एस. बसवराजू पुत्र शिवण्ण, कुमार स्वामी पुत्र बसवराजू	0-00 1/4	-	-	0-00 1/4	सूखी
5	111/1C2	बी.एस. चण्णैगौड़ा पुत्र स्वर्गीय नंजप्पा	0-02 1/2	-	-	0-02 1/2	एन ए के
6	111/1B	चंद्रम्मा, पुत्री निंगप्पा	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	सूखी
7	112/1	कमला, पत्नी बी.एन. शंकरप्पा	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	सूखी
8	112/2B	नंजम्मा पत्नी मरियप्पा, शिवण्ण, टी. सिद्धलिंगैया एवं टी. नंजैया (संयुक्त) लीलम्मा उर्फ नीलम्मा पत्नी शिवानंद के	0-01 1/4	-	-	0-01 1/4	सूखी

9	129/1A1	एम.आर. दिनेश बाबू पुत्र एम.एस.रामलिंगप्पा	0-03	-	-	0-03	सूखी
10	129/2A	बी.एन. पद्मक्षम्मा पुत्री बी नारायणराव, बी.एस. गुरुराज पुत्र श्रीनिवासमूर्ति (संयुक्त)	0-03 3/4	-	-	0-03 3/4	एन ए के
11	129/6	विजया कुमारी पत्नी स्वर्गीय बसवराजू	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	एन ए के
12	129/5	टी.सी. आनंद पुत्र स्वर्गीय चंद्रप्पा	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	एन ए के
13	129/4	यशोदम्मा पत्नी स्वर्गीय महादेवप्पा	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	सूखी
14	129/8	यशोदम्मा पत्नी स्वर्गीय महादेवप्पा	0-02	-	-	0-02	सूखी
कुल			0-27 1/4	-	-	0-27 1/4	-

सार (एकड़-गुंटा में)				
एन ए के	सूखी	A- खराब	B- खराब	कुल
0-09 3/4	0-17 1/2	-	-	0-27 1/4

[फा.सं. डब्ल्यू .277/भूमि/आरयूबी/82/टीटीआर]

छन्नो मल गुप्ता, प्रधान मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway)

NOTIFICATION

Hubballi, the 18th June, 2026

S.O. 3228(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special railway project, namely “Sampige Road – Arsikere Section: Proposed Construction of differential Height RUB at Km. 138/200-300 in lieu of LC No. 82 between Karadi-Tiptur Stations (Bandihalli Gate)” in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely Special Land Acquisition Officer Tumkur-Rayadurga Railway Project, Tumkur for the work of “Sampige Road – Arsikere Section: Proposed Construction of differential Height RUB at Km. 138/200-300 in lieu of LC No. 82 between Karadi-Tiptur Stations (Bandihalli Gate)” in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20 D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the proposed land to be acquired.

DISTRICT: TUMKUR, TALUK: TIPTUR, HOBLI: KASABA, VILLAGE : TIPTUR

Sl. No	Sy. No	Name of Owner's	Extent of land (In Acres-Guntas)				Classification of land
			Total	A-Kharab	B-Kharab	Balance	
1	109	S.S. Rudraiah S/o Shankarappa, Vivekananda S/o S.S. Rudraiah (joint)	0-00 1/2	-	-	0-00 1/2	N A K
2	110/1	Mangala T.M. W/o Mruthyunjaya C.B, T.M. Anupama D/o T.M. Manjunatha (Joint)	0-05 1/2	-	-	0-05 1/2	Dry
3	111/1A	Manjula W/o Jayanna	0-01	-	-	0-01	Dry
4	111/1C1	N.Kumar S/o Nanjappa, T.G. Nagaraju S/o Gurappa, B.S. Basavaraju S/o Shivanna, Kumar Swamy S/o Basavaraju	0-00 1/4	-	-	0-00 1/4	Dry
5	111/1C2	B.S. Channegowda S/O Late Nanjappa	0-02 1/2	-	-	0-02 1/2	N A K
6	111/1B	Chandramma D/o Ningappa	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	Dry
7	112/1	Kamala W/o B.N. Shankarappa	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	Dry
8	112/2B	Nanjamma W/o Mariyappa, Shivanna, T.Siddalingaiah and T. Nanjaiah (Joint) Leelamma urf Neelamma W/o Shivananda K	0-01 1/4	-	-	0-01 1/4	Dry
9	129/1A1	M.R. Dinesh Babu S/o M.S. Ramalingappa	0-03	-	-	0-03	Dry
10	129/2A	B.N. Padmakshamma D/o B Narayanarao, B.S. Gururaj S/o Srinivasamurthy (Joint)	0-03 3/4	-	-	0-03 3/4	N A K
11	129/6	Vijaya Kumari W/o Late Basavaraju	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	N A K
12	129/5	T.C. Ananda S/o Late Chandrappa	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	N A K
13	129/4	Yashodamma W/o Late Mahadevappa	0-01 1/2	-	-	0-01 1/2	Dry
14	129/8	Yashodamma W/o Late Mahadevappa	0-02	-	-	0-02	Dry
Total			0-27 1/4	-	-	0-27 1/4	-

ABSTRACT (In Acres-Guntas)				
N A K	DRY	A- KHARAB	B-KHARAB	TOTAL
0-09 3/4	0-17 1/2	-	-	0-27 1/4

[F. No. W.277/Land/RUB/82/TTR]

CHHANNO MAL GUPTA, Principal Chief Engineer